प्रेस विज्ञप्ति

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण:आकड़ो के पीछे की कहानियां

राजस्थान, दिल्ली, पुणे और गुजरात

गुरुवार , 4 जून 2020

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भारत के 12 राज्यों में 5000 कर्मचारियों का विस्तृत फोन सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण को कराने में दस सिविल सोसाइटी संघठनों ने यूनिवर्सिटी का सहयोग किया है। सर्वेक्षण से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि आंकड़े एवं सहयोगी संगठनों का विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यवर सर्वेक्षण डाटा भी यहाँ उपलब्ध है।

इस वेबिनर में मुख्य रूप से हम दिल्ली, पुणे, राजस्थान और गुजरात में किये गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष पेश करेंगे। हमारे साथ काम कर रही संस्थायो के माध्यम से हम यह समझ बना पाएंगे की उन गाँव एवं शहरों में जहा वह काम कर रहे है वहा इस सर्वेक्षण के परिणामो के क्या मायने है।

आप से अनुरोध है की यूट्यूब लाइव पर हमसे जुड़ें।

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए २४ मार्च से लगी तालाबंदी ने अर्थव्यवस्था पर और विशेष रूप से कमजोर, अनौपचारिक, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर गहरा वार किया है। इनका मुकाबला करने और आर्थिक सुधार के मार्ग को तय करने के लिए हमे तत्कालीन उपायों के साथ साथ ,मध्यम से लंबी अवधि के लिए, व्यापक नीतिगत उपायों की भी जरूरत पड़ेगी। हम आशा करते हैं कि इस सर्वेक्षण से निकले निष्कर्ष, नीतिगत हस्तक्षेपों की सीमा और प्रकृति को निर्धारित करने में मदद करेंगे। तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है। सर्वे में स्व-रोज़गार, दिहाड़ी मज़दूर और नियमित वेतन / वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। यह सर्वे सिविल सोसायटी संगठनों और सहयोगियों के नेटवर्क के चुनिंदा सैंपल के जरिए किया गया है. निष्कर्ष केवल सैंपल से संबंधित हैं और ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अत: निष्कर्ष को सभी राज्यो के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

गुजरात (315 प्रतिवादी)

- **10 में से 7 (71%)** श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है।
- **शहरी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों** में करीब **10 में से 9 मजदूरों ने अपना रोजगार खोया है।**
- लगभग **10 में से 9 किसान** अपनी **खेती की उपज को बेच नहीं पाए।**

- लगभग **10 में से 7 लोगों** के पास इतना भी **धन नहीं था** की वो एक **सप्ताह का भी ज़रूरी सामान ले पाएं | शहरी क्षेत्र में परिवारों** की स्थिति **(89%) ज्यादा ख़राब दिखी**|
- **95% शहरों** में रहने वाले परिवारों ने **कहा की उन्होंने अपने खाने की मात्रा में कमी की है |**
- **85% वंचित परिवारों को राशन मिला** |
- **51% ग्रामीण परिवारों** की तुलना में **66% शहरी** इलाके में रहने वाले परिवारों को कोई भी **नकद ट्रांसफर नहीं मिला |**

राजस्थान (484 प्रतिवादी)

- **88%** मजदूरों ने अपना **रोजगार खोया है** |
- शहरी इलाको में दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, **95% लोगों** ने अपना **रोजगार खोया** |
- **68% वेतन कर्मियों को या तो कम वेतन मिला है या कोई वेतन नहीं मिला है ।**
- लगभग **4 में से 3** परिवारों ने **कहा की उन्होंने अपने खाने की मात्रा में कमी की है ।**
- **63% वंचित परिवारों** के **पास एक हफ्ते के लायक ज़रूरी सामान खरीदने** के लिए भी पैसे नहीं थे ।
- तालाबंदी के वजह से **44% परिवारों को कर्ज लेना पड़ा**।
- **10 में से 3 प्रवासी** जो शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहे है **उनके पास राशन कार्ड नहीं था।**
- शहरी क्षेत्रों के लगभग **10 वंचित परिवारों में से 4 परिवारों** को किसी प्रकार का पैसा ट्रान्सफर नहीं हुआ |

दिल्ली (शहरी, 240 प्रतिवादी)

- **73%** श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है। **स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी** को सबसे **ज्यादा नुकसान हुआ , 10 में से 8 लोगों** ने **रोजगार खो दिया।**
- **गैर-कृषि स्व-रोज़गार और दिहाड़ी मजदूरों** की औसत **कमाई 63% तक गिर गई।**
- लगभग 10 में से 9 प्रवासियों ने **कहा की उन्होंने अपने खाने की मात्रा में कमी की है|**
- **4 में से 3 परिवारों** के **पास एक हफ्ते के लायक सामान खरीदने** के लिए भी **नकद नहीं था।**
- आधे से ज्यादा **वंचित परिवारों को राशन नहीं मिला**, लगभग **10 में से 7 प्रवासियों** को **राशन नहीं मिला।**
- **10 में से 7 वंचित परिवारों** को किसी भी तरह का **नकद ट्रान्सफर नहीं मिला |**

पुणे (शहरी, 307 प्रतिवादी)

- **78%** श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है।
- **दो-तिहाई (67%) वेतन कर्मियों को आंशिक या पूर्ण रूप से वेतन नहीं मिला।**
- **84% परिवारों** ने कहा की **उन्होंने ने अपने खाने की मात्र में कमी की है|**
- **94% परिवारों** ने कहा की वह **अगले महीने का किराया** देने के लिए **असमर्थ है|**
- **10 में से 6 परिवारों को राशन मिला** |

- **96 % वंचित परिवारों** के पास **जन धन खाता नहीं** था|
- **10 में से 9 (94%) वंचित परिवारों को** किसी भी तरह का **नकद ट्रान्सफर नहीं मिला|**

संक्षेप में,अर्थव्यवस्था और श्रम बाजारों को भारी नुक्सान पहुंचा है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, आजीविका अभूतपूर्व स्तर पर तबाह हुई हैं। समाधान धीमा और बहुत कष्टकारी हो सकता है। तत्कालीन राहत योजनाएं ज्यादातर अपर्याप्त रहीं हैं।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों को देखते हुए, अध्ययन कर रही टीम ने, इस संकट से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है।इन प्रस्तावों का विवरण आने वाली रिपोर्ट में उपलब्ध होगा।

- पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
- दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है।
- शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, नरेगा कार्यों के सतर्क उद्घाटन की तत्कालीन ज़रुरत है।
- मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की ज़रुरत है।